कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

क्रमाक . रसद/एफ पी एस नियुक्ति/विज्ञप्ति/2022/2293 दिनाक : 29.08.2

विस्तृत विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्राक एफ 17(1)खा.वि /विधि/08 जयपुर दिनांक 17 03 2016 एव एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर /2019 दिनाक 25 11 2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानो के आवटन के दिशा निर्देशो के तहत जिले में उचित मूल्य की रिक्त दुकानो के लिए इच्छुक एव पात्र व्यक्तियो तथा सस्थाओ यथा सहकारी समितियो, महिला समूह आदि से राजस्थान खाद्यान्न एव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय मे जिला रसद अधिकारी कार्यालय से 100 रू का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर दिनाक 06 09.2022 से 20 09 2022 तक कार्यालय समय मे किसी भी कार्य दिवस मे पात्रता सबधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियो व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर मे जमा करवाये जा सकेगे। रिक्त उचित मूल्य की दुकानो का विवरण निम्नानुसार है :-

जिला रसद अधिकारी (प्रथम) भरतपुर

क्र. सं.	तहसील का नाम	नाम ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या (पुराना)	एफपीएस कोड संख्या	आरक्षण की स्थिति
1	वैर	खेडलीगूजर	12643	–
2		हाथौडी	25052	महिला हेतु आरक्षित
3		कस्बा वैर वार्ड संख्या 15 (पुराना) वार्ड सख्या 04, 05 (नया)	24891	–
4		कस्बा वैर वार्ड सख्या 04 (पुराना) वार्ड संख्या 21, 25 (नया)	24892	–
1	भुसावर	नारौली	12646	–
2		घाटरी	28341	महिला हेतु आरक्षित
3		बारौली	12579	महिला हेतु आरक्षित
4		सलेमपुर कला	28781	–
5		भैंसीना	12687	–
6		कस्बा भुसावर वार्ड सख्या 10 (पुराना) वार्ड सख्या 18 (नया)	25068	–
1	उच्चैन	सहना	12134	महिला हेतु आरक्षित
2		गहलउ	12136	–
3		भैंसा	12138	–
4		भैंसा	12139	–
5		खरैरा	12121	–
1	रूपवास	सज्जनवास	17855	–
2		बुराना	17919	–
1	बयाना	समोगर	30942	महिला हेतु आरक्षित
2		खोहरा	11511	–
3		महमदपुरा	11489	–
4		जैसोरा	18317	–
5		कस्बा बयाना वार्ड सख्या 03	13179	–
6		कस्बा बयाना वार्ड सख्या 22	28775	महिला हेतु आरक्षित
7		कस्बा बयाना वार्ड संख्या 13	13556	–
8		कस्बा बयाना वार्ड सख्या 24	29880	महिला हेतु आरक्षित
9		कस्बा बयाना वार्ड सख्या 06	27925	–

10		कस्बा बयाना वार्ड संख्या 16	27921	—
11		कस्बा बयाना वार्ड सख्या 01	13134	—
12		कस्बा बयाना वार्ड सख्या 19	13616	—
13		कस्बा बयाना वार्ड सख्या 07	13298	—
योग			**30**	
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर				
1	डीग	जाटौलीथून	12418	महिला हेतु आरक्षित
2		धमारी	24961	—
3		परमदरा	24962	—
4		कासौट	27912	महिला हेतु आरक्षित
5		टोडा	30028	—
6		टोडा	31096	—
7		गढी मेवात	27911	—
8		कस्बा डीग वार्ड सख्या 08	24870	—
9		कस्बा डीग वार्ड सख्या 14	24876	—
10		कस्बा डीग वार्ड सख्या 05	24867	—
11		कस्बा डीग वार्ड सख्या 11	24873	महिला हेतु आरक्षित
1	नगर	बांसबुर्जा	25002	—
1	नदबई	लुलहारा	18126	महिला हेतु आरक्षित
2		एचेरा	18090	—
3		जहांगीरपुर	12285	—
4		बहरामदा	15859	—
5		करही	18102	महिला हेतु आरक्षित
6		बरौलीछार	15851	महिला हेतु आरक्षित
7		मई	12183	—
8		मई	27934	—
9		खेडी देवी सिह	18113	महिला हेतु आरक्षित
10		खटौटी	12297	—
11		करीली	12293	—
12		लुहासा	12295	महिला हेतु आरक्षित
13		बरौलीरान	15866	महिला हेतु आरक्षित
14		डहरा	15867	—
15		खागरी	18108	—
16		लुहासा	12186	महिला हेतु आरक्षित
17		भदीरा	15861	महिला हेतु आरक्षित
18		न्यौठा	12185	—
19		नाम	12291	—
20		तलछेरा	18136	—
21		भदीरा	15863	—
22		खटौटी	18109	—
23		नयावास	13947	—
24		कस्बा नदबई वार्ड संख्या 15, 16	24860	—
25		कस्बा नदबई वार्ड सख्या 03, 04	24854	—
26		कस्बा नदबई वार्ड सख्या 07, 08	24856	—
27		कस्बा नदबई वार्ड संख्या 11, 12	24858	—
28		कस्बा नदबई वार्ड सख्या 01, 02	24853	—
29		कस्बा नदबई वार्ड सख्या 05, 06	24855	—
योग			**41**	

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताऐं निम्नानुसार होंगी :-

(1) शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र मे स्थित वार्ड्स मे से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति मे वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमे उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए।

(2) आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एव कम्प्यूटर मे Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी सस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य के दुकानों के आवेदको मे कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नही रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वी कक्षा उत्त्तीर्ण आवेदको के प्रार्थना पत्रों को भी आवटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर मे प्रशिक्षण प्राप्त नही हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि मे ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियो को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(3) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनाक 01 01 2015 के बाद पैदा हुई सतान सहित दो से अधिक सतान नही होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक सतान होने की स्थिति मे कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा। उचित मूल्य दुकान आवटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी सतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त करने योग्य होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही सतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संताने पैदा हो जाती है, तो सतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

(4) आवेदक को दुकान आवटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10X20=200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शे आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होगे।

(5) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अकित करते हुए एक घोषणा पत्र लिया जावेगा –

(1) आवेदक पूर्व मे ई.सी एक्ट के तहत दण्डित नही हुआ है।

(2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वय किया जावेगा।

(3) आवेदक के परिवार मे किसी सदस्य यथा माता–पिता, पुत्र एव पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नही है।

(4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नही किया गया है।

(5) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल–चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नही हुआ है।

(6) आवेदक द्वारा दिनाक 01.01 2015 के बाद दो से अधिक सतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

(6) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ सबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 100000 रू का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25000 रू. होना आवश्यक होगा।

(7) महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वय सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आकलन के निम्न आधार होगे–

1 समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।

2 समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैक मे खाता खुला हो।

3 समूह के सदस्य तीन वर्षो से आन्तरिक लेन–देन में सलग्न हो।

(8) आवेदक/समितियो/समूह/निकाय में सचिव/प्रबधक का कम्प्यूटर दक्ष एव शैक्षणिक योग्यताओ को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(9) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहतर क्षेत्रीय बहुउदेशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पजीकृत है।

(10)प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वय सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके धर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

उपरोक्त रिक्तियों के संबध मे विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17 03 2016 एव 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानो के आवंटन के दिशा निर्देशो में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03 2016 एव 25 11 2020 के दिशा निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य की दुकानो के संबध मे विस्तृत जानकारी एव उचित मूल्य दुकानो के आवटन हेतु आवेदनकर्ताओ की पात्रताओ के सबध मे जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in का अवलोकन करे अथवा कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भरतपुर मे सम्पर्क करे।

आवेदक द्वारा दी गई सूचनाये गलत पाये जाने पर आवटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त रिक्तियो मे कमी/बढौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियो को भरने/ना भरने के सबध में कार्यालय का निर्णय अतिम रहेगा।

(सुभाष चन्द्र गोयल)
RAS
जिला रसद अधिकारी
भरतपुर

कमांक रसद/एफ पी एस नियुक्ति/विज्ञप्ति/2022/ 2294-2311 दिनाक . 29.08.22

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 श्रीमान शासन सचिव, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर।
2 श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर।
3 श्रीमान उपायुक्त एव उपशासन सचिव, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर।
4 विशिष्ट सहायक माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान् विश्वेन्द्र सिह जी/श्रीमान् भजनलाल जी जाटव।
5 विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मत्री श्रीमान् सुभाष गर्ग/श्रीमती जाहिदा खान।
6. निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय, देवनारायण बोर्ड (माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र नदबई, भरतपुर)
7 निजी सचिव माननीय राजस्थान खाद्य सुरक्षा आयोग (माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र नगर, भरतपुर)
8 श्रीमान सांसद महोदया जिला भरतपुर।
9 श्रीमान विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बयाना, भरतपुर।
10 ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in पर अपलोड करवाने बाबत।
11 संयुक्त निदेशक, सूचना एव प्रौद्योगिकी विभाग, भरतपुर को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
12 उपखण्ड अधिकारी . . .. ।
13 विकास अधिकारी पचायत समिति ... . ।
14 तहसीलदार .. .. . . ।
15 प्रबंधक, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. भरतपुर
16 प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक समस्त जिला भरतपुर
17 अन्य।
18 आदेश रक्षित पत्रावली।

जिला रसद अधिकारी
भरतपुर

कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

क्रमाक रसद/एफ पी एस नियुक्ति/विज्ञप्ति/2022/2275 दिनाक 29.08.22

विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्राक एफ 17(1)खा वि /विधि/08 जयपुर दिनाक 17 03 2016 एव एफ 17(5)खा वि /न्याय/महि आर /2019 दिनांक 25 11 2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानो के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत जिले मे उचित मूल्य की रिक्त दुकानो के लिए इच्छुक एव पात्र व्यक्तियो तथा सस्थाओ यथा सहकारी समितियो, महिला समूह आदि से राजस्थान खाद्यान्न एव अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय मे जिला रसद अधिकारी कार्यालय से 100 रू का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर दिनाक 06.09.2022 से 20 09.2022 तक कार्यालय समय मे किसी भी कार्य दिवस मे पात्रता सबधी समस्त आवश्यक दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियों व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर मे जमा करवाये जा सकेंगे। तहसीलवार रिक्त उचित मूल्य की दुकानो की संख्या निम्नानुसार है :—

जिला रसद अधिकारी (प्रथम) भरतपुर

क्र स	तहसील का नाम	रिक्तियो की सख्या
1	वैर	04
2	भुसावर	06
3	उच्चैन	05
4	रूपवास	02
5	बयाना	13

जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर

क्र स	तहसील का नाम	रिक्तियो की संख्या
1	डीग	11
2	नगर	01
3	नदबई	29

उपरोक्त रिक्तियो के सबंध में विभागीय पत्राक एफ 17(1)खा वि./विधि/08 जयपुर दिनाक 17.03 2016 एवं 25 11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानो के आवंटन के दिशा निर्देशो में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एव 25 11 2020 के दिशा निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य की दुकानो के सबध मे विस्तृत जानकारी मय महिला आरक्षण की स्थिति एवं उचित मूल्य दुकानो के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओ की पात्रताओ के सबध में जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in का अवलोकन करे अथवा कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भरतपुर मे सम्पर्क करें।

आवेदक द्वारा दी गई सूचनाये गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त रिक्तियो मे कमी/बढौतरी/सशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियो को भरने/ना भरने के सबध मे कार्यालय का निर्णय अतिम रहेगा।

(सुभाष चन्द्र गोयल) 29/8
RAS
जिला रसद अधिकारी
भरतपुर

P.T.O.

क्रमाक रसद / एफ.पी.एस नियुक्ति / विज्ञप्ति / 2022 / 2276 – 92 दिनाक 29.08.22

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1 श्रीमान शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर।
2 श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर।
3 श्रीमान उपायुक्त एव उपशासन सचिव, खाद्य एव नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर।
4 विशिष्ट सहायक माननीय कैबिनेट मत्री श्रीमान् विश्वेन्द्र सिह जी / श्रीमान् भजनलाल जी जाटव।
5 विशिष्ट सहायक माननीय राज्य मत्री श्रीमान् सुभाष गर्ग / श्रीमती जाहिदा खान।
6 निजी सचिव माननीय अध्यक्ष महोदय, देवनारायण बोर्ड (माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र नदबई, भरतपुर)
7 निजी सचिव माननीय राजस्थान खाद्य सुरक्षा आयोग (माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र नगर, भरतपुर)
8 श्रीमान सासद महोदया जिला भरतपुर।
9 श्रीमान विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र बयाना, भरतपुर।
10 जिला सूचना एव जनसम्पर्क अधिकारी, भरतपुर को जनहित में नि शुल्क प्रकाशनार्थ।
11 उपखण्ड अधिकारी .... ।
12 विकास अधिकारी पंचायत समिति .... ।
13. तहसीलदार .... ।
14 प्रबधक, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि भरतपुर
15 प्रवर्तन अधिकारी / निरीक्षक समस्त जिला भरतपुर
16 अन्य।
17 आदेश रक्षित पत्रावली।

29/8/22

जिला रसद अधिकारी
भरतपुर